संख्या : - /XXIV(6)/2011

प्रेषक:

उत्पल कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

2– आयुक्त,
गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल,
पौड़ी गढ़वाल/नैनीताल ।

3– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड ।

शिक्षा अनुभाग–6 (उच्च शिक्षा) देहरादून दिनांक :15 नवम्बर, 2011

विषय : राज्य में निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु नीति निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में नये निजी विश्वविद्यालय को खोले जाने हेतु मा0 उच्चतम् न्यायालय द्वारा प्रो0 यशपाल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामले में पारित आदेश, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के दिशा–निर्देशों का शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या 68/xxiv(6)/2011 दिनांक 15, मार्च, 2011, दिनांक 28,मार्च 2011,दिनांक 01,नवम्बर, 2011 एवं शुद्धि–पत्र दिनांक 02,नवम्बर 2011 को अतिक्रमित करते हुए उक्त प्रयोजन हेतु नई नीति दो चरणों में निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

निजी विश्वविद्यालय स्थापना की प्रकिया दो स्तरीय होगी –

प्रथम चरण – प्रथम चरण में निजी विश्वविद्यालय की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने पर उच्च स्तरीय समिति द्वारा मूल्यांकन कर 15 दिन के अन्दर संस्तुति प्रदान की जायेगी । उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति पर शासन द्वारा आगामी 15 दिनों के भीतर आशय पत्र (Letter of Intent-LOI) जारी करने के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

द्वितीय चरण – द्वितीय चरण में आशय पत्र की शर्तो के अनुरूप निर्धारित अवधि में प्रस्तावक द्वारा कार्यवाही उपरान्त राज्य सरकार को विश्वविद्यालय संचालन की अनुमति हेतु आवेदन किया जायेगा । राज्य सरकार द्वारा दो माह के भीतर प्रस्ताव का परीक्षण कर विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जायेगा । विधेयक पारित होने के पश्चात् उसमें उल्लिखित् प्राविधान एवं व्यवस्थाओं के अनुरूप विश्वविद्यालय संचालन, छात्र/छात्राओं का प्रवेश एवं पठन पाठन प्रारम्भ किया जायेगा।

प्रथम चरण

1. निजी विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तावक संस्था/ट्रस्ट/सोसायटी/कम्पनी द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड शासन को प्रस्तुत किया जायेगा। प्रस्ताव के साथ प्रस्तावक द्वारा प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में ₹ दस लाख की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल के पक्ष में देय होगा, जिसे निदेशक, उच्च शिक्षा के माध्यम से राजकीय कोष में जमा कराया जायेगा। उक्त प्रोसेसिंग शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा ।

2. निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु प्रस्तावक के लिए आवश्यक है कि वह निम्नांकित में से किसी अधिनियम के तहत पंजीकृत हो :–

(1) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या–21 सन् 1860) या

(2) भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या–02 सन् 1882) या

(3) कम्पनी अधिनियम 1956 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या–01 सन् 1956) की धारा–25 के अधीन

3. प्रत्येक प्रस्तावक को इस आशय का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा कि विश्वविद्यालय नियामक आयोग, सर्वोच्च नियामक संस्थाओं, केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा समय समय पर पारित अधिनियमों/नियमों/शासनादेशों/रेगुलेशन्स् का पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा ।

4. यदि प्रस्तावक संस्था द्वारा पूर्व से उच्च शिक्षण संस्थान का संचालन नहीं किया जा रहा हो तो संस्था के कार्यकारी सदस्यों में 60 प्रतिशत सदस्य उच्च शिक्षा क्षेत्र के अनुभवी व्यक्तियों में से होने आवश्यक होंगे।

5– निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु भूमि के मानक निम्नानुसार निर्धारित किये जाते हैं :–

क0सं0	क्षेत्र	मानकानुसार निर्धारित भूमि	निर्मित क्षेत्र
1.	पर्वतीय क्षेत्र	7.5 एकड़ अधिकतम् तीन समीपवर्ती स्थानों (पॉच कि0मी0 के भीतर)	20,000 वर्गमीटर
2.	मैदानी क्षेत्र (जनपद देहरादून के पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर)	10 एकड़ एक साथ एक ही स्थान पर होना आवश्यक है।	20,000 वर्गमीटर

वर्णित आवश्यक भूमि के साथ पाठ्यक्रमों हेतु सर्वोच्च नियामक निकाय के भूमि सम्बन्धी मानक, जो भी अधिक हो, उसका पालन किया जाना प्रस्तावक संस्था के लिए अनिवार्य होगा।

6– प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में निजी विश्वविद्यालय खोलने के इच्छुक प्रस्तावकों को, अन्य शर्तें पूर्ण करने पर, 10 अंक का अधिमान दिया जायेगा।

7– निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु प्रस्तावक संस्था द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (D.P.R.) में निम्नांकित विवरण सम्मिलित किया जायेगा :–

- संस्था के पंजीकृत होने का प्रमाण, संविधान एवं नियमावली ।
- प्रस्तावक संस्था के आय के स्रोत तथा विगत् तीन वर्षो की संपरीक्षित लेखा रिर्पोट (तीन वर्ष से कम अवधि में स्थापित संस्थायें उतने ही वर्षो की संपरीक्षित लेखा उपलब्ध करायेंगी, जितने वर्ष उसकी स्थापना के पश्चात् पूर्ण हुए हों (यदि कोई हो))
- प्रस्तावक संस्था की उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय संमैत्री
- प्रस्तावक संस्था का पूर्व में उच्च शिक्षण संस्थान संचालन की दशा में न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव/दो बैच पास आउट होने का प्रमाण पत्र संबंधित संबद्धीकरण विश्वविद्यालय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- उत्तराखण्ड राज्य में विश्वविद्यालय की स्थापना की आवश्यकता, महत्व, लाभ–परिस्थितिक विश्लेषण एवं राज्य के विकास में विश्वविद्यालय का प्रस्तावित योगदान दर्शाते हुए Feasibility Report
- प्रस्तावित विश्वविद्यालय की संदृष्टि, ध्येय एवं उद्देश्य।
- प्रस्तावित विश्वविद्यालय के मुख्यालय एवं मुख्य कैम्पस (Main Campus) का स्थान
- प्रस्तावक संस्था के प्रर्वतकों (Promoters) की सुदृढ़ वित्तीय स्थिति न्यूनतम रू0 30.00 करोड़ शुद्ध सम्पत्ति (net-worth) कम से कम तीन वर्षों का प्रमाण यथा–चार्टेड एकाउटेन्ट द्वारा सत्यापित बैलेंस शीट, Wealth Tax Return (प्रर्वतक द्वारा संस्था की चल–अचल सम्पत्ति किसी भी उद्देश्य हेतु गिरवी नहीं रखी जायेगी।) (इस आशय का शपथ–पत्र)।
- प्रस्तावित विश्वविद्यालय की सम्पूर्ण चरण की परियोजना लागत, बजट प्रावधान एवम् वित्त के स्रोतों का विवरण। संस्था के बैंक खाते में न्यूनतम् ₹ 20 करोड़ जमा होना आवश्यक होगा।
- विश्वविद्यालय में संचालित किये जाने हेतु प्रस्तावित पाठ्यक्रमों का विवरण, प्रत्येक पाठ्यक्रम का शुल्क ढांचा, संक्षिप्त पाठ्य सामग्री एवम् रोजगारपरकता का विवरण।
- प्रस्तावक संस्था द्वारा स्वंय के द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों यदि कोई हो, के माध्यम से छात्र छात्राओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में की गयी कार्यवाही का विवरण ।
- विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रस्तावित न्यूनतम एवं अधिकतम 10 एकड़ भूमि मैदानी क्षेत्र अथवा न्यूनतम एवं अधिकतम 7.5 एकड़ भूमि पर्वतीय क्षेत्र

में उपलब्ध कराने हेतु शपथ पत्र प्रारम्भ में दिया जायेगा। अधिनियम से पूर्व भूमि के स्वामित्व से सम्बन्धित् प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

- प्रस्तावक संस्था द्वारा इस आशय की घोषणा कि उक्त संस्था एवम् उसके द्वारा संचालित किसी संस्था के विरूद्ध कभी भी कोई दण्डात्मक प्रकिया किसी भी न्यायालय में स्थापित नहीं की गयी तथा उक्त संस्था को केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा अन्य प्राधिकारी द्वारा कभी काली सूची में सूचीबद्ध नहीं किया गया।

- प्रदेश के स्थायी निवासियों को विश्वविद्यालय में संचालित सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश में 25 प्रतिशत आरक्षण का प्राविधान रखा जायेगा। प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र दिया जायेगा कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेश संस्था को मान्य होंगे । यदि स्थायी निवासियों हेतु आरक्षित सीटें खाली रह जाती है तो राज्य सरकार की अनुमति से उक्त रिक्त सीटें अन्य अभ्यर्थियों से भरी जा सकती हैं।

- निजी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित समस्त पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों, जो प्रदेश के स्थायी निवासी हो, को निर्धारित शिक्षण शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी। प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र दिया जायेगा कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेश संस्था को मान्य होंगे ।

- प्रदेश के स्थायी निवासियों को, जो समूह 'ग' एवं 'घ' श्रेणी के पदों हेतु योग्यता रखते हो, को इस श्रेणी के समस्त पदों पर नियुक्ति की जायेगी। प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र दिया जायेगा कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेश संस्था को मान्य होंगे ।

- निजी विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार की प्रवृत्त/समय–समय पर संशोधित आरक्षण नीति का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

- न्यूनतम ₹ 25.00 लाख की पुस्तकें क्रय करनी अनिवार्य होगी अथवा पाठ्यक्रम हेतु सर्वोच्च नियामक निकाय के मानकानुसार जो भी अधिक हो। प्रस्तावक संस्था द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

- प्रथम तीन वर्षों में न्यूनतम ₹ 75.00 लाख अथवा पाठ्यक्रम हेतु सर्वोच्च नियामक निकाय के मानकानुसार जो भी अधिक हो, की धनराशि पत्रिकायें, कम्प्यूटर, नेटवर्किंग आदि मदों में व्यय किया जायेगा। प्रस्तावक संस्था द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

- प्रथम वर्ष में न्यूनतम ₹ 30.00 लाख अथवा सर्वोच्च नियामक निकाय के मानकानुसार, जो भी अधिक हो, के उपकरण, फर्नीचर आदि क्रय किया जायेगा। प्रस्तावक संस्था द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

- प्रत्येक विभाग/डिसिप्लिन में कम से कम एक प्रोफेसर, दो एसोसिएट प्रोफेसर, तीन असिस्टेंट प्रोफेसर तथा अन्य सपोर्टिंग स्टाफ की नियुक्ति शासन/सर्वोच्च नियामक निकाय व्दारा निर्धारित योग्यतानुसार पारदर्शी तरीके से की जायेगी तथा इनके हित में भविष्य निधि एवं अन्य कल्याणकारी कोषों की स्थापना की जानी अनिवार्य होगी। प्रस्तावक संस्था द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

  राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रस्तावित विधेयक में शुल्क, पाठ्यक्रम, सीट इन्टेक, निरीक्षण आदि प्राविधान किये जायेंगे । प्रस्तावक संस्था द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

8. निजी विश्वविद्यालय स्थापना सम्बन्धी उपरोक्तानुसार प्राप्त होने वाले प्रस्ताव/प्रस्तावों को पन्द्रह दिनों के अन्दर उच्च स्तरीय समिति के समक्ष मूल्यांकन कर प्रस्तुत करने हेतु निम्नांकित समिति गठित की जाती है :–

1. अपर सचिव,उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड शासन – अध्यक्ष
2. अपर सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन – सदस्य
3. निदेशक उच्च शिक्षा हल्द्वानी – सदस्य सचिव ।

निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा शासन से प्राप्त प्रस्तावों को उक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा ।

9. राज्य में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्तावों पर विचार कर संस्तुति तथा इस क्षेत्र में नीति निर्धारण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति निम्नवत् गठित की जाती हैं :–

(1)	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष
(2)	प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
(3)	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
(4)	प्रमुख सचिव/सचिव, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
(5)	प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
(6)	प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य

(7) प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय, उत्तराखण्ड शासन — सदस्य

(8) प्रमुख सचिव/सचिव, आवास, उत्तराखण्ड शासन — सदस्य

(9) कुलपति, दून विश्वविद्यालय, देहरादून — सदस्य

(10) दो विषय विशेषज्ञ जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नामित किया जायेगा — सदस्य

(11) महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड — सदस्य

(12) निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी, नैनीताल — सदस्य–सचिव

10. प्रत्येक प्रस्तावक के मूल्यांकन हेतु प्रारूप संलग्न किया गया है, जिसके दो खण्ड है :–

(1) निजी विश्वविद्यालय स्थापना हेतु प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन – प्रारूप पत्र–1, इन मदों की पूर्ति होने पर ही अंकों के आधार पर मूल्यांकन किया जायेगा ।

(2) प्रस्तावकों का अंकों के आधार पर मूल्यांकन – अंक प्रारूप पत्र–2

(3) किसी प्रस्ताव को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त होने पर ही Letter of Intent-LOI की संस्तुति की जायेगी ।

11. Letter of Intent-LOI में प्रमुख रूप से निम्न शर्तो का उल्लेख होगा :–

(1) भूमि का स्वामित्व मानकों के अनुरूप, भवन एवं अवस्थापना सृजन का प्रमाण ।
(2) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सर्वोच्च नियामक संस्था (जैसी भी स्थिति हो) के द्वारा किया गया निरीक्षण एवं संस्तुति पत्र ।
(3) राज्य सरकार द्वारा सम्पादित निरीक्षण एवं मानकों के बाबत संस्तुति पत्र ।
(4) विश्वविद्यालय का शैक्षिक एवं प्रशासनिक ढॉचा ।
(5) विस्तृत परियोजना रिर्पोट के अनुसार सभी बिन्दुओं पर कार्यपूर्ति का शपथ पत्र ।
(6) यू0जी0सी0 अन्य नियामक संस्थाओं, केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के द्वारा पारित अधिनियम, नियम, रेगुलेशन्स् तथा शासनादेशों के अनुपालन की पुष्टि ।

द्वितीय चरण –

1– प्रस्तावक द्वारा Letter of Intent-LOI की शर्तो का पालन करते हुए अधिनियम एवं अध्यादेश के आलेख्य के साथ विश्वविद्यालय संचालन की अनुमति हेतु उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण कर संस्तुति की जायेगी । ऐसी संस्तुति प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय का विधेयक विधानसभा के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा। (विधानसभा सत्र न होने की दशा में अध्यादेश) ।

2– प्रस्तावक के द्वारा द्वितीय चरण का प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर उपरोक्त कार्यवाही दो माह के भीतर अंतिम निर्णय किया जाना अनिवार्य होगा ।

3– अध्यादेश/अधिनियम की अधिसूचना निर्गत किये जाने से पूर्व प्रस्तावक संस्था/ट्रस्ट/सोसायटी/कम्पनी द्वारा स्थायी विन्यास निधि जो राज्य सरकार के नाम प्लेज्ड होगी, की राशि मैदानी क्षेत्र हेतु ₹ 05.00 करोड़ तथा पर्वतीय क्षेत्र हेतु ₹ 02.00 करोड़ जो राष्ट्रीयकृत बैंक गारण्टी के रूप में देय होगा, शासन के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

4– स्थायी विन्यास निधि राजकीय कोष में जमा कराये जाने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम/अध्यादेश अधिसूचित किये जाने की अधिसूचना निर्गत की जायेगी । अधिसूचना निर्गत किये जाने की तिथि से विश्वविद्यालय पाठ्यकम प्रारम्भ कर सकेगा।

5– प्रश्नगत् नीति से सम्बन्धित् कतिपय प्रारूप निर्धारित किये गये है, जिनका विवरण निम्नवत् प्रस्तुत है :–

- निजी विश्वविद्यालय प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अनिवार्य आवश्यक मानक प्रारूप पत्र–1/भाग–1,
- उत्तराखण्ड में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन अंक पत्र प्रारूप–2/भाग–2
- उत्तराखण्ड में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन संकलित मूल्यांकन तालिका ।

6– उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।

संलग्नक : यथोपरि ।

भवदीय,

(उत्पल कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या: 1C.68 /XXIV(6)/2011 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
2. संयुक्त सचिव, (उच्च शिक्षा) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
4. कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
6. उप सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय शैक्षिक परीक्षा संगठन, साउथ कैम्पस, दिल्ली विश्वविद्यालय, वेनिटो ज्वांरेज मार्ग, नई दिल्ली–110021 ।
7. अपर सचिव, गोपन, उत्तराखण्ड शासन को उनके पत्र संख्या:4/2/XXII/XXI/2011–सी0एस0 दिनांक 30,अक्टूबर 2011 के कम में सूचनार्थ ।
8. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
9. समिति में नामित समस्त सदस्यगण।
10. कोषाधिकारी, देहरादून/नैनीताल।

11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क, ई0सी0 रोड़, देहरादून को इस आशय से प्रेषित की उक्त शासनादेश को जनहित में दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित किये जाने की कार्यवाही हेतु।
12. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित की उक्त शासनादेश को वेबसाइट में डालने हेतु ।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ0 निधि पाण्डेय)
अपर सचिव।